

**REVALIDATION**

पत्रावली संख्या III - 297

पंजीकृत डाक द्वारा

**नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण**

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6 नौएडा(उ०प्र०)

संख्या:-नौएडा/मु०वा०नि०/2022/III-297/ 1215

दिनांक: 15-11-22

सेवा में,

मैसर्स जे०पी० इन्फ्राटेक लि०

सैक्टर-128, नौएडा

बिषय:- मै० जे०पी० इन्फ्राटेक लि० द्वारा सैक्टर-128,129,131,133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं० बी-24सी(प्रोजेक्ट विस्ता), सैक्टर - 128, नौएडा के मानचित्र के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में ।

कृपया आपके द्वारा सैक्टर-128,129,131,133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं० बी-24सी सैक्टर - 128, नौएडा के प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के पुनर्वैधीकरण हेतु आवेदन के आधार पर संदर्भित योजना के दिनांक 28.07.2017 को स्वीकृत मानचित्रों को 5 वर्ष हेतु पुनर्वैधीकरण किया जाता है ।

कार्यदायी संस्था कन्सेशन एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार योजना को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। पुनर्वैधीकृत मानचित्र में दर्शित वैद्यता समय किसी भी स्थिति में कन्सेशन एग्रीमेंट की शर्तों को प्रभावित नहीं करता है।

ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं० बी-24सी,  
(विस्ता) सैक्टर -128, का क्षेत्रफल

= 10920.00 वर्ग मी०

कुल स्वीकृत एफ.ए.आर.

= 54521.50 वर्ग मी०

स्वीकृत प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)

= 8114.663 वर्ग मी०

स्वीकृत द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)

= 7347.038 वर्ग मी०

कुल स्वीकृत सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ.ए.आर.)

= 6054.07 वर्ग मी०

कुल स्वीकृत क्षेत्रफल(एफ०ए०आर०+नॉन एफ०ए०आर०)

= 86601.781 वर्ग मी०

योजना में कुल स्वीकृत ड्यूलिंग यूनिट्स

= 252

**पुनर्वैधीकरण हेतु क्षेत्रफल**

कुल स्वीकृत एफ.ए.आर.

= 54521.50 वर्ग मी०

स्वीकृत प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)

= 8114.663 वर्ग मी०

स्वीकृत द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)

= 7347.038 वर्ग मी०

कुल स्वीकृत सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ.ए.आर.)

= 6054.07 वर्ग मी०

कुल स्वीकृत क्षेत्रफल(एफ०ए०आर०+नॉन एफ०ए०आर०)

= 86601.781 वर्ग मी०

योजना में कुल स्वीकृत ड्यूलिंग यूनिट्स

= 252

**RECEIVED**

Sl. No. 1249 Date: 15/11/22

JAYPEE INFRA TECH LIMITED  
SECTOR -128, NOIDA

## नियम व शर्त:-

1. उक्त ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट की पुनरीक्षित भवन मानचित्र की स्वीकृति दिनांक 28.07.2017 के पत्र में उल्लिखित शर्त यथावत रहेगी।
2. योजना में 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की देयता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-25579/2021 में जो भी अंतिम निर्णय पारित होगा, वह कार्यदायी संस्था को मान्य होगा।
3. कार्यालय आदेश दिनांक 15.09.2022 के अनुसार कार्यदायी संस्था के स्वयं के द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं में अनुमन्य समयवृद्धि दिनांक 31.12.2025 तक निःशुल्क प्रदान की गयी है। उक्त तिथि के उपरान्त प्राधिकरण की प्रचलित नीति के अनुसार नियमानुसार समयवृद्धि शुल्क देय होगा।
4. कार्यदायी संस्था को परिसर के अन्दर ही कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट स्थापित करना होगा।
5. उ0प्र0 रियल स्टेट रेग्युलेट्री एक्ट-2016, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/माननीय न्यायालय/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के समय-समय पर लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों/आदेशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन कार्यदायी संस्था/पट्टा धारक/उप पट्टा धारक पर बाध्यकारी होगा।
6. इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग की व्यवस्था कार्यदायी संस्था को परिसर के अंदर करना होगा।

संलग्न:- पुनर्वैधीकरण मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि: तहसीलदार, (भूलेख) को सूचनार्थ।

भवदीय,

Map for proposed Building to be per bye  
Laws. Submitted for Approval Please

Arch. Asst/Arch. Architect

नाम .....  
पद .....  
नौएडा 14/11/2022

(इशतयाक अहमद)  
महाप्रबन्धक (नियोजन)  
नौएडा

